

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 126]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 मार्च 2011—चैत्र 7, शक 1933

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2011

क्र. 9059-वि. स.-विधान-2011.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 28 मार्च, 2011 को पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

डॉ. ए. के. पायासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०११

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, २०११

विषय-सूची

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएं.
३. कर का भार.
४. कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.
५. कर का उद्ग्रहण.
६. प्रभार और कर की दर.
७. होटल मालिक या स्वामी के रूप में फर्मों का दायित्व.
८. वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.
९. कर का निर्धारण, संग्रहण आदि.
१०. रजिस्ट्रीकरण.
११. छूट देने की शक्ति.
१२. व्यावृत्ति.
१३. नियम बनाने की शक्ति.
१४. किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के अधिरोपण का वर्जन.
१५. निरसन तथा व्यावृत्ति.
१६. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०११

मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य में विलास वस्तुओं, मनोरंजन, आमोद एवं प्रदर्शित विज्ञापनों पर कर के उद्यग्रहण हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर अधिनियम, २०११ है। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(२) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश पर है।

(३) यह १ अप्रैल, २०११ से प्रवृत्त होगा।

२. (१) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएँ।

(क) “मनोरंजन में प्रवेश” में सम्मिलित है किसी ऐसे स्थान में प्रवेश जहां केबल सेवा, डायरेक्ट टू होम सेवा (डीटीएच), दूरसंचार सेवा या किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से मनोरंजन किया जा रहा हो और मनोरंजन सुलभ कराया जा रहा हो;

(ख) “विज्ञापन” से अभिप्रेत है किसी स्थल पर स्लाइड या फिल्म या पोस्टर या बैनर या होर्डिंग आदि के माध्यम से प्रदर्शित या केबल टेलीविजन के माध्यम से या किसी अन्य साधन से विज्ञापित, जिसमें टेली-मार्केटिंग सम्मिलित है, समाचार-पत्रों में प्रकाशित या रेडियो या टेलीविजन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों को छोड़कर, किसी माल, सेवा, उत्पाद, सम्पत्ति, मनोरंजन, व्यापार, कारबार या व्यवसाय की सूचना या उद्घोषणा;

(ग) “मनोविनोद” से अभिप्रेत है किसी भी मनोविनोद आर्केड, मनोविनोद पार्क या थीम पार्क में या किसी अन्य स्थान में चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उपलब्ध कराया गया कोई भी मनोविनोद;

(घ) “कारबार” में सम्मिलित है,—

(एक) किसी होटल मालिक द्वारा वास सुविधा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप और वास-सुविधा उपलब्ध कराने के ऐसे क्रियाकलाप से सम्बद्ध, आनुषंगिक या सहायक कोई अन्य सेवा उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप;

(दो) किसी स्वामी द्वारा मनोरंजन उपलब्ध कराने और विज्ञापन प्रदर्शित करने का क्रियाकलाप;

(तीन) किसी स्वामी द्वारा विलास वस्तुएं उपलब्ध कराने का क्रियाकलाप;

(छ) “केबल ऑपरेटर” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो सेटेलाइट सिग्नल प्राप्त करने और वितरित करने, संचार नेटवर्क, जिसमें कार्यक्रमों एवं पैकेजेस का निर्माण एवं संचारण शामिल है, के कारबार में लगा हुआ है;

(च) “कैटरर” से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो किसी रेस्टरां से भिन्न किसी स्थान पर भोजन, स्वल्पाहार आदि उपलब्ध कराता है;

(छ) “बलब” में सम्मिलित है कोई निगमित और अनिगमित, दोनों व्यक्तियों का संगम, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो;

(ज) “मनोरंजन” में सम्मिलित है,—

- (एक) कोई प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण, मनोविनोद, क्रीड़ा या खेल जिसमें व्यक्तियों को प्रवेश दिया जाता है;
- (दो) डीटीएच सेवा प्रदाता द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (तीन) केबल ऑपरेटर द्वारा केबल सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (चार) दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार सेवा के माध्यम से रिंगटोन, संगीत, वीडियो, एनीमेशन, खेल, जोक्स आदि द्वारा उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;
- (पांच) दूरसंचार सेवा प्रदाता या किसी व्यक्ति द्वारा दूरसंचार सेवा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता;
- (छह) किसी अन्य तकनीकी साधन या उपकरण के माध्यम से उपलब्ध कराया गया मनोरंजन;

स्पष्टीकरण.—मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई सेवाएं, मध्यप्रदेश राज्य के भीतर उपलब्ध कराई गई समझी जाएंगी।

- (झ) “होटल” में सम्मिलित है कोई वास स्थान, वास गृह, क्लब, सराय, सार्वजनिक गृह या कोई ऐसा भवन या उसका भाग जहां कारबार के अनुक्रम में वास-सुविधा उपलब्ध कराई जाती है;
- (ज) “होटल मालिक” से अभिप्रेत है होटल का स्वामी और उसमें सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति जो तत्समय होटल के प्रबंध का भारसाधक है;
- (ट) “विलास वस्तु” से अभिप्रेत है आनंद, सुख या प्रमोद के लिए माल, सेवाओं, सम्पत्ति, सुविधाओं आदि का उपयोग, या ऐसे माल या सेवाओं का मुक्तहस्त उपभोग, अर्थात्,—
 - (एक) किसी होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास-सुविधा और अन्य सेवाएं जिनके लिए प्रभार की दर, वातानुकूलन, टेलीफोन, टेलीविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त बिस्तर और उसी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रभारों को सम्मिलित करते हुए प्रतिदिन ऐसी राशि जैसी कि विहित की जाए, से अधिक है, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक् से प्रभार लिया जाता है;
 - (दो) ब्यूटी पार्लर, स्पा में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं;
 - (तीन) मैरिज हॉल द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं एवं सुविधाएं;
 - (चार) कैटरर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं, चिकित्सालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में उपलब्ध कराई गई सेवाओं को छोड़कर, किन्तु उसमें खाद्य और पेय का प्रदाय सम्मिलित नहीं है, जहां ऐसे प्रदाय के लिए पृथक् से प्रभार लिया जाता है;
 - (पांच) गृह सज्जाकार (डेकोरेटर), पुष्प विक्रेता (फ्लोरिस्ट), प्रभासक (इल्यूमिनेटर), प्रसारण सुविधा (आडियोसिस्टम) प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं;
- (ठ) “मैरिज हॉल” में सम्मिलित है लॉन, गार्डन, कोई भवन या किसी भवन का हिस्सा जहां किसी भी प्रसंग, जिसमें सम्मिलित है सेनीनार या सम्मेलन या प्रीतिभोज या सभा या प्रदर्शनी-सह-विक्रय के लिए स्थान या जगह उपलब्ध कराई जाती है;
- (ड) “मनोरंजन में प्रवेश के लिए धनीय प्रतिफल” में सम्मिलित है,—
 - (एक) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी स्थान में सीटों या अन्य वास स्थान सुविधा के लिए किसी भी रूप में किया जाए;

(दो) कोई भुगतान जो मनोरंजन के किसी भी कार्यक्रम या कथासार (सिनेप्सिस) के लिए किया जाए;

(तीन) कोई भुगतान, जो किसी ऐसे उपकरण या यंत्र के जिससे कोई व्यक्ति सामान्य या अधिक अच्छी तरह से मनोरंजन के ऐसे दृश्य देख सके या उसकी ध्वनि सुन सके या उसका आनन्द ले सके, उधार लेने या उपयोग के लिए किया जाए जो ऐसा व्यक्ति ऐसे उपकरण या यांत्रिकी सहायता के बिना प्राप्त नहीं कर सकता;

(चार) किसी मनोरंजन को, चाहे किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये या प्रचलित आधार पर पहुंचाने के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा अंशदान या अभिदान या संस्थापन और संयोजन (केनेक्षन) प्रभारों या किन्हीं अन्य प्रभारों के रूप में किया गया कोई भुगतान, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो;

(पांच) कोई भुगतान, जो मनोरंजन से संबंधित किसी भी प्रयोजन के लिए हो और किसी भी नाम से ज्ञात हो, जिसे मनोरंजन में उपस्थित होने या उपस्थित बने रहने की शर्त के रूप में, या तो मनोरंजन में प्रवेश के लिये भुगतान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त या प्रवेश के लिये किसी ऐसे भुगतान के बिना, किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना अपेक्षित हो;

(छह) किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान जिसे मनोरंजन स्थल के एक भाग में प्रवेश दिए जाने के पश्चात् उसके अन्य भाग में प्रवेश दिया जाता है, जिसमें प्रवेश के लिए कर या अधिक कर सहित भुगतान करना अपेक्षित है;

(सात) निःशुल्क, प्रच्छन्न, अनधिकृत या रियायती प्रवेश की दशा में, चाहे स्वामी की जानकारी में या जानकारी के बिना, ऐसा भुगतान जो किया गया होता यदि संबंधित व्यक्ति का प्रवेश ऐसे प्रवेश के लिए सामान्यतः प्रभारित किए जाने वाले पूर्ण प्रभार के भुगतान पर किया जाता.

स्पष्टीकरण एक—किसी मनोरंजन के संबंध में किसी भी रूप में लिया गया अभिदान या संगृहीत किया गया संदाय प्रवेश के लिए भुगतान समझा जाएगा;

स्पष्टीकरण दो—जहां किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिये अभिदाय या अंशदान के रूप में अथवा किसी सीजन टिकट के लिए मनोरंजन की किसी आवलि (सीरीज) में प्रवेश के अधिकार के लिए अथवा कतिपय समय की कालावधि के दौरान किसी मनोरंजन के लिए अथवा किसी विशेषाधिकार, अधिकार, सुविधा या ऐसी बात के लिए, जिसमें मनोरंजन के लिये प्रवेश का अधिकार सम्मिलित है या कोई अतिरिक्त भुगतान किए बिना या घटी दरों पर, किसी व्यक्ति को एकमुश्त राशि का भुगतान किया गया है, वहां मनोरंजन शुल्क का भुगतान ऐसी एक मुश्त राशि की रकम पर किया जाएगा;

स्पष्टीकरण तीन—जहां कोई मनोरंजन किसी व्यक्ति द्वारा किसी सेवा के भाग के रूप में उपलब्ध कराया जाता है, चाहे वह ऐसी सेवा का एकीकृत भाग हो या अन्यथा, तो सेवा उपलब्ध कराने के लिए ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये प्रभारों में मनोरंजन उपलब्ध कराने या मनोरंजन के प्रभार भी सम्मिलित समझे जाएंगे.

(द) “व्यक्ति” में सम्मिलित है कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निर्गमित हो या नहीं, और उसके अन्तर्गत हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कोई फर्म, कोई स्थानीय प्राधिकरण, कोई राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कोई शासकीय उपक्रम भी है;

(ण) “कारबार का स्थान” में सम्मिलित है कोई कार्यालय, या कोई ऐसा अन्य स्थान जिसे होटल मालिक या स्वामी अपने कारबार के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाता है या जहां वह अपनी लेखाबहियां रखता है;

(त) “स्वामी” में किसी विज्ञापन, मनोरंजन या विलास वस्तु के संबंध में, उसके प्रबंध के प्रभार के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति या तत्समय उसके संबंध में प्रभार के लिए जिम्मेदार कोई व्यक्ति, शामिल है;

(थ) “धनीय प्रतिफल की पावती” से अभिप्रेत है किसी होटल मालिक या किसी स्वामी, या उसके अधिकारी द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के लिए प्राप्त या प्राप्त किए जाने योग्य रकम का भुगतान किन्तु उसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन देय और होटल मालिक या स्वामी द्वारा पृथक् रूप से संगृहित कर नहीं होगा;

(द) “रजिस्ट्रीकृत होटल मालिक या स्वामी” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई होटल मालिक या स्वामी;

(ध) “कर” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन देय कर;

(न) किसी कालावधि के संबंध में “कुल राशि” से अभिप्रेत है किसी होटल मालिक या किसी स्वामी द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन की बाबत् उसको प्राप्त या प्राप्ति योग्य धनीय प्रतिफल की पावतियों की रकम का योग;

(प) “वेट अधिनियम” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२)

(२) उन सभी अभिव्यक्तियों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और जो वेट अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो वेट अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं.

कर का भार.

३. (१) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक या स्वामी, जिसकी कुल राशि (टर्न ओवर) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्ववर्ती बारह मास की कालावधि के दौरान पांच लाख रुपये से अधिक है, मध्यप्रदेश में उसके द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर ऐसे प्रारंभ होने के समय से चुकाने का दायी होगा.

(२) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक या स्वामी, जिसको उपधारा (१) लागू नहीं होती है, मध्यप्रदेश में उसके द्वारा किसी विज्ञापन, विलास वस्तु या मनोरंजन के संबंध में इस अधिनियम के अधीन कर चुकाने का दायी उस तारीख से होगा जिसको कि ऐसी तारीख से एक वर्ष में उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) पांच लाख रुपये से प्रथम बार अधिक हो जाती है किन्तु उस वर्ष के लिए कर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए, उसकी कुल राशि (टर्न ओवर) में से केवल उतनी ही कुल राशि (टर्न ओवर) को हिसाब में लिया जाएगा जो कि ऐसी सीमा से अधिक है.

कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण.

४. (१) आयुक्त इस अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के किसी होटल मालिक या स्वामी के दायित्व का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कार्यवाहियां विहित रीति में, संस्थित करेगा. ऐसा दायित्व, आदेश द्वारा अवधारित किया जाएगा और ऐसा अवधारण, ऐसी कार्यवाहियां संस्थित किए जाने की तारीख से बारह मास की कालावधि के भीतर किया जाएगा.

(२) धारा ३ के उपधारा (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी होटल मालिक या स्वामी के कर का भुगतान करने के दायित्व का अवधारण—

(एक) उपधारा (१) के अधीन कार्यवाहियां संस्थित किये जाने की तारीख; या

(दो) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की तारीख,

इनमें से जो भी पूर्वतर हो, से पांच वर्ष पूर्व की तारीख से नहीं किया जाएगा.

५. (१) कुल राशि पर कर उद्गृहीत किया जाएगा और ऐसा कर किसी होटल मालिक या किसी स्वामी द्वारा कर का उद्ग्रहण. इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार देय होगा.

(२) यदि स्वामी (जिसके अन्तर्गत भागिक स्वामी भी है) से भिन्न कोई व्यक्ति कारबार के स्थान का तत्समय भारसाधक है, तो ऐसा व्यक्ति और स्वामी (जिसके अन्तर्गत भागिक स्वामी भी है) कर का संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायित्वाधीन होंगे.

६. (१) किसी होटल मालिक या स्वामी द्वारा इस अधिनियम के अधीन देय कर निम्नलिखित दरों से प्रभारित किया जाएगा, अर्थात् :— प्रभार और कर की दर.

(क) होटल मालिक की दशा में, कुल राशि का १० प्रतिशत;

(ख) स्वामी की दशा में,—

(एक) किसी होटल में उपलब्ध कराई गई से भिन्न, विलास वस्तुओं पर, कुल राशि का १० प्रतिशत;

(दो) विज्ञापन पर, कुल राशि का १० प्रतिशत;

(तीन) मनोरंजन पर, कुल राशि का २० प्रतिशत;

(२) जहां किसी होटल में उपलब्ध कराई गई विलास-वस्तु के प्रभारों के अतिरिक्त, सेवा प्रभार उद्गृहीत किये जाते हैं और होटल मालिक द्वारा विनियोजित कर लिए जाते हैं और कर्मचारिवृन्द को संदत्त नहीं किए जाते हैं, वहां ऐसे प्रभारों के संबंध में यह समझा जाएगा कि वे होटल में उपलब्ध कराई गई विलास वस्तु के लिए प्रभारों के भाग हैं.

(३) होटल मालिक को ऐसी विलास वस्तु के लिये वस्तुतः चुकाए गए प्रभार पर, उपधारा (१) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट दर से कर उद्गृहीत तथा संगृहीत किया जाएगा.

(४) खाद्य और पेय के प्रदाय के लिये कुल राशि की बाबत् कर उस दशा में उद्गृहीत नहीं किया जाएगा और देय नहीं होगा, जबकि उनके लिए पृथक्-पृथक् रूप से प्रभार लिया जाता है और जिनके विक्रय पर होटल मालिक मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी है.

७. जहां कोई कारबार किसी फर्म के स्वामित्व में है या किसी फर्म द्वारा उसका प्रबंध किया जाता है या उसे चलाया जाता है, वहां वह फर्म और फर्म का प्रत्येक भागीदार इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी होंगे:

होटल मालिक या स्वामी के रूप में फर्मों का दायित्व.

परन्तु जहां कोई भागीदार उस फर्म से निवृत्त हो जाता है, वहां वह उस कर, शास्ति, ब्याज या इस अधिनियम के अधीन देय किसी अन्य रकम का, जो उसकी निवृत्ति के समय अदत्त रहती है, तथा उसकी निवृत्ति की तारीख तक शोध्य किसी कर का संदाय करने का दायी होगा, भले ही कर का निर्धारण या शास्ति या ब्याज का उद्ग्रहण किसी पश्चात्कर्ता तारीख को किया गया है.

८. इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, वेट अधिनियम के उपबंधों और उनके अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं, जिसमें विवरणियों, निर्धारण, स्व-निर्धारण, पुनर्निर्धारण कर का भुगतान एवं वसूली, लेखा, कर के अपवर्चन का पता लगाना तथा उसका निवारण, प्रतिदाय, अपील, पुनरीक्षण, परिशोधन, अपराधों तथा शास्तियों और अन्य विविध मामलों से संबंधित उपबंध सम्मिलित हैं यथावश्यक परिवर्तन सहित किसी होटल मालिक या स्वामी को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत और देय कर ब्याज या शास्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि ये उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस अधिनियम में समाविष्ट कर लिए गए हैं और यह समझा जाएगा कि उन उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं यथावश्यक परिवर्तन सहित उन सुसंगत उपबंधों के अधीन बनाए गए थे या जारी किए गए थे/जारी की गई थीं, जो इस अधिनियम में इस प्रकार समाविष्ट की गई हैं.

वेट अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना.

कर का निर्धारण संग्रहण आदि.

९. इस अधिनियम के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, इस अधिनियम का क्रियान्वयन, जहाँ तक कि वह होटल मालिकों या स्वामियों पर कर के उद्ग्रहण, निर्धारण और उनसे कर के संग्रहण से संबंधित है, वेट अधिनियम में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों में निहित होगा और तदनुसार वे प्राधिकारी जो वेट अधिनियम के अधीन कर का निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण करने और उसके संदाय को प्रवर्तित कराने के लिए तत्समय सशक्त हैं, इस अधिनियम के अधीन होटल मालिक या स्वामी द्वारा देय कर का जिसके अन्तर्गत कोई ब्याज या शास्ति भी है, निर्धारण, पुनर्निर्धारण, संग्रहण इस प्रकार करेंगे और उसके संदाय को इस प्रकार प्रवर्तित कराएंगे मानो ऐसे होटल मालिकों या स्वामी द्वारा इस अधिनियम के अधीन या वेट अधिनियम के उपबंधों के, जो धारा ८ के अधीन होटल मालिकों या स्वामियों को इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत कर के संबंध में लागू किए गए हैं, अधीन देय कर या ब्याज या शास्ति उस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त की गई समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे.

रजिस्ट्रीकरण.

१०. (१) इस अधिनियम के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी प्रत्येक होटल मालिक या स्वामी समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी से रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र ऐसी रीति और प्रूप में अभिप्राप्त करेगा जो विहित किया जाए.

(२) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित प्रत्येक होटल मालिक या स्वामी इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से साठ दिन के भीतर या यदि उस तारीख को कारबार नहीं कर रहा था तो उसके कर का संदाय करने के लिए दायी होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र मंजूर किए जाने हेतु आवेदन करेगा.

(३) जहाँ उपधारा (१) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित कोई होटल मालिक या स्वामी उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसके लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहाँ समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसे यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसी राशि का, जो पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो पांच सौ रुपये से कम नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदाय करे.

(४) उपधारा (२) में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर किए गए आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दायित्व की तारीख से विधिमान्य होगा. ऐसी कालावधि के पश्चात् किए गए आवेदन पर मंजूर किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र आवेदन की तारीख से विधिमान्य होगा.

(५) प्रत्येक ऐसा होटल मालिक, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, इस अधिनियम द्वारा निरसित किए गये अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करता है, ऐसे प्रारंभ पर, इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों के लिए इस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र धारण करने वाला होटल मालिक समझा जायेगा.

(६) वेट अधिनियम की धारा १७ तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जहाँ तक कि वे उस अधिनियम के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों के संशोधन और रद्दकरण से संबंधित हैं, इस धारा के अधीन मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रों को यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे.

छूट देने की शक्ति.

११. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी होटल मालिक/स्वामी या होटल मालिकों/स्वामियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय से पूर्णतः या भागतः छूट, चाहे भविष्यलक्षी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, दे सकेगी.

व्यावृति.

१२. मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, १९८८ (क्रमांक १३ सन् १९८८) और मध्यप्रदेश मनोरंजन कर और विज्ञापन शुल्क अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६) (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) के निरसित होते हुए भी, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी होटल मालिक/स्वामी या होटल मालिकों/स्वामियों के किसी वर्ग को निरसित अधिनियमों के अधीन कर के भगतान से इस अधिनियम

के प्रारंभ के पूर्व की किसी कालावधि के लिए छूट दे सकेगी और उस प्रयोजन के लिए यही और सदैव यही समझा जाएगा कि इस अधिनियम द्वारा अधिनियम क्रमांक १३ सन् १९८८ की धारा ९ या अधिनियम क्रमांक ३० सन् १९३६ की धारा ७ के उपबंध ऐसी छूट के प्रयोजन के लिए पुनः प्रवर्तित हो गए हैं।

१३. (१) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, निम्नलिखित को विहित करते हुए नियम बना सकेगी—

- (क) धारा (१०) की उपधारा (१) के अधीन वह रीति और प्ररूप जिसमें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जाएगा;
- (ख) वह प्ररूप जिसमें विवरणियां फाइल की जाएंगी;
- (ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें और वह कालावधि जिसके पूर्व कर का संदाय किया जाएगा;
- (घ) वह प्ररूप जिसमें निर्धारण आदेश पारित किया जाएगा;
- (ङ) वह प्ररूप जिसमें मांग की सूचना जारी की जाएगी।

(३) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे।

१४. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उसके पश्चात् किसी अवधि के संबंध में किसी मनोरंजन के संबंध में कर अधिरोपित या वसूल नहीं करेगा।

किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मनोरंजन कर के अधिरोपण का वर्जन।

(२) राज्य सरकार, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को, जिसने इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व, मनोरंजनों के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए कोई कर या शुल्क अधिरोपित किया था और ऐसे सिद्धांतों के अनुसार जैसा कि इस संबंध में विहित किया जाए वार्षिक सहायता अनुदान का भुगतान करेगी।

(३) इस धारा की कोई भी बात, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उद्ग्रहणीय प्रदर्शन कर के अधिरोपण को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “प्रदर्शन कर” से अभिप्रेत है प्रत्येक प्रदर्शन या प्रस्तुतीकरण के लिए मनोरंजन के स्वामी से निश्चित् राशि के रूप में उद्ग्रहणीय कर।

१५. मध्यप्रदेश होटल तथा वास गृहों में विलास वस्तुओं पर कर अधिनियम, १९८८ (क्रमांक १३ सन् १९८८) और मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क और विज्ञापन कर अधिनियम, १९३६ (क्रमांक ३० सन् १९३६) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को निरसित हो जाएगा :

निरसन तथा व्यावृत्ति।

परन्तु—

(एक) ऐसे निरसन से,—

- (क) इस प्रकार निरसित अधिनियम का क्रमांक १३ सन् १९८८ और अधिनियम क्रमांक ३० सन् १९३६ (जो इसमें इसके पश्चात् निरसित अधिनियमों के नाम से निर्दिष्ट है) के पूर्व प्रवर्तन पर या उसके अधीन सम्यक् रूप से की गई या भुगती गई किसी बात पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या
- (ख) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व पर प्रभाव नहीं डालेगा जो निरसित अधिनियम के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किया गया हो; या

(ग) निरसित अधिनियम के विरुद्ध किये गये किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड पर प्रभाव नहीं पड़ेगा; या

(घ) किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व के संबंध में किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा,

तथा ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित किया जा सकेगा, जारी रखी जा सकेगी या प्रवर्तित किया जा सकेगा तथा किसी ऐसी शास्ति, समपहरण या दंड को इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानो कि वह अधिनियम पारित ही नहीं किया गया था तथा उक्त अधिनियम निरसित ही नहीं किया गया था.

(दो) जब तक कि वह अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, निरसित अधिनियमों द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई कोई बात या की गई किसी कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत कोई नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्ररूप, विनियम या प्रमाण-पत्र आता है) जहां तक कि वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, जब तक और जहां तक कि वह इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन अतिष्ठित न कर दी गई हो, खण्ड (एक) के उपखण्ड (ख) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए की गई समझी जाएगी मानो कि यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त था जबकि ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी और इस अधिनियम के प्रारंभ होने के समय कर के समस्त बकाया तथा शोध्य अन्य रकमें उसी प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो कि वे इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हैं।

(तीन) निरसित अधिनियमों तथा उसके अधीन बनाये गए नियमों के अधीन कोई कर निर्धारण, अपील, पुनरीक्षण या उद्भूत होने वाली अन्य कार्यवाहियां और/या इस अधिनियम के ठीक पूर्व कर निर्धारण करने या सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिये सम्यकरूपेण सशक्त किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष लंबित ऐसी अपील, पुनरीक्षण, अन्य कार्यवाही ऐसे प्रारंभ होने की तारीख को इस अधिनियम के अधीन कर निर्धारण करने या अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियों की इसके लिये विनिर्दिष्ट कालावधि, यदि कोई हो, के भीतर सुनवाई करने तथा विनिश्चित करने के लिये सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी को अंतरित की जाएगी और तदुपरि ऐसा कर निर्धारण निरसित अधिनियमों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा तथा ऐसी अपील या पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाही की सुनवाई तथा उसका विनिश्चय ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार किया जाएगा मानो कि वे निरसित अधिनियम के प्रयोजन के अधीन सम्यकरूप से सशक्त हैं।

(चार) खण्ड (एक) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां जो निरसित अधिनियमों के अधीन उद्भूत हों किन्तु इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् प्रस्तुत की गई या आरंभ की गई हैं तो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी अपील, पुनरीक्षण या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा सुनवाई की जाएगी तथा उसका विनिश्चय किया जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.

१६. यदि इस अधिनियम के किसी भी उपबंध को कार्यान्वित करने में धारा १५ द्वारा निरसित अधिनियमों के तत्स्थानी उपबंध से उक्त उपबंधों में संक्रमण होने के परिणामस्वरूप कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष के भीतर राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा, इस अधिनियम से अन संगत ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो कि शंका या कठिनाई दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विधान सभा में वर्ष २०११-१२ के लिए बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये भाषण के भाग-दो में अंतर्विष्ट विलास वस्तु, मनोरंजन तथा विज्ञापन से संबंधित कर प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने की दृष्टि से विलास वस्तुओं, मनोरंजन, मनोविनोद तथा विज्ञापन पर कर उद्ग्रहण करने के लिए एक नई व्यापक अधिनियमिति बनाए जाने हेतु प्रस्तावित की गई है।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :
तारीख १५ मार्च, २०११.

राधवजी
भारसाधक सदस्य।

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित।”

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य सरकार को विधायनी शक्तियां प्रत्यायोजित की जा रही हैं, उनका विवरण निम्नानुसार है:—

खण्ड २ (१) (ट) (एक) : होटल में उपलब्ध कराई जाने वाली वास सुविधा और अन्य सेवाओं के लिए प्रतिदिन प्रभार की दर विहित करने;

खण्ड ४ : आयुक्त द्वारा कर के भुगतान हेतु दायित्वों के अवधारण को सुनिश्चित किए जाने;

खण्ड १० : रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु, रीति और प्ररूप विहित किये जाने;

खण्ड ११ एवं १२ : अधिसूचना द्वारा, कर के संदाय से होटल मालिक/ स्वामी को छूट दिये जाने;

खण्ड १३ : अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित किये जाने;

खण्ड १४ : अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व अधिरोपित शुल्क के संबंध में वार्षिक सहायता अनुदान सुनिश्चित किये जाने; तथा

खण्ड १६ : इस अधिनियम के उपबंधों में संक्रमण होने के फलस्वरूप कोई शंका या कठिनाई उत्पन्न होने की दशा में अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से २ वर्ष के भीतर उक्त शंका या कठिनाई दूर करने के लिए उपबंध सुनिश्चित किये जाने

के संबंध में नियम बनाये जायेंगे, जो सामान्य स्वरूप के होंगे।

डॉ. ए. के. पद्यासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 131]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 मार्च 2011—चैत्र 8, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2011

क्र. 2025-115-इक्कीस-अ(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश विलासिता, मनोरंजन, आमोद एवं विज्ञापन कर विधेयक, 2011 (क्रमांक 13 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
No. 13 OF 2011**THE MADHYA PRADESH VILASITA, MANORANJAN, AMOD EVAM
VIGYAPAN KAR VIDHEYAK, 2011**

TABLE OF CONTENTS

Clauses:

1. Short title, extent and commencement
2. Definitions
3. Incidence of tax
4. Determination of liability to pay tax
5. Levy of tax
6. Charges and rate of tax
7. Liability or firms as hotelier or proprietor
8. Certain provisions of Vat Act to apply
9. Assessment collection, etc. of tax
10. Registration
11. Power to exempt
12. Saving
13. Power to make rules
14. Bar on imposition of entertainment tax by any local authority
15. Repeal and savings
16. Power to remove difficulties

MADHYA PRADESH BILL
No. 13 OF 2011

**THE MADHYA PRADESH VILASITA, MANORANJAN, AMOD EVAM
VIGYAPAN KAR VIDHEYAK, 2011**

A Bill to levy tax on luxuries, entertainments, amusements and advertisements exhibited In the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vilasita, Manoranjan, Amod Evam Vigyapan Kar Adhiniyam, 2011.

**Short title,
extent and
commencement.**

(2) It extends to the whole of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from 1st April, 2011.

2, (1) In this Act, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) “admission to an entertainment” includes admission to any place in which the entertainment is held and access to entertainment through cable service, direct to home (DTH) service, telecom service or any other technological means or device;

(b) “advertisement” means the intimation or announcement of any goods, service, product, property, entertainment, trade, business or profession by means of a slide or film or poster or banner or hoarding, etc. exhibited at any place or advertised through cable television or by any other means including tele-marketing, except advertisements published in the newspapers or broadcast by radio or television;

(c) “amusement” means any amusement provided in any amusement arcade or amusement park or theme park or by whatever name called;

(d) “business” includes—

(i) the activity of providing residential accommodation and any other service in connection with or incidental or ancillary to such activity of providing residential accommodation by a hotelier;

(ii) the activity of providing entertainment and exhibiting advertisements by a proprietor;

(iii) the activity of providing luxuries by a proprietor;

(e) “cable operator” means any person engaged in the business of receiving and distributing satellite signals, communication network, including production and transmission of programmes and packages;

(f) “caterer” means a person who provides meals, snacks, etc., at a place other than a restaurant;

(g) “club” includes both an incorporated and unincorporated association of persons, by whatever name called;

(h) “entertainment” includes—

- (i) any exhibition, performance, amusement, game or sport to which persons are admitted;
- (ii) entertainment provided by a direct to home (DTH) Service Provider through Satellite;
- (iii) entertainment provided by a cable operator through cable service;
- (iv) ring tones, music, videos, movies, animations, games, jokes, etc. provided by a Telecom Service provider through telecom service;
- (v) contests organised through telecom services by the Telecom Service Provider or any person;
- (vi) entertainment provided by any other technological means or device.

Explanation :—Services received by a person situated in the State of Madhya Pradesh, shall be deemed to have been provided within the State of Madhya Pradesh;

- (i) “hotel” includes a residential accommodation, a lodging house, a club, an inn, a public house or a building or part thereof where residential accommodation is provided in the course of business;
- (j) “hotelier” means the owner of the hotel and includes the person who for the time being is in-charge of the management of the hotel;
- (k) “luxury” means use of goods, services, property, facilities, etc. for enjoyment, comfort or pleasure or lavish consumption of such goods or services, that is to say,—
 - (i) accommodation and other services provided in a hotel, the rate of charges per day for which, including the charges for air-conditioning, telephone, television, radio, music, entertainment, extra beds and the like is more than the amount as may be prescribed, but does not include the supply of food and drinks where such supply is separately charged for;
 - (ii) services provided in a beauty parlour, spa;
 - (iii) services or facilities, provided by a marriage hall;
 - (iv) services provided by a caterer, except provided in hospitals and educational institutions, but does not include the supply of food and drinks where such supply is separately charged for;
 - (v) services provided by a decorator, florist, illuminator, audio system provider;
- (l) “marriage hall” includes lawn, garden, a building or part of a building where accommodation or space is provided for more than one hundred persons, for any event including seminar or convention or banquet or meeting or exhibition cum sale;

(m) “monetary consideration for admission to entertainment” includes—

- (i) any payment for seats or other accommodation in any form in a place of entertainment;
- (ii) any payment for a program or synopsis of an entertainment;
- (iii) any payment made for the loan or use of any instrument or contrivance which enables a person to get a normal or better view or hearing or enjoyment of the entertainment, which without the aid of such instrument or contrivance such person would not get;
- (iv) any payment made by a person by way of contribution or subscription or installation and connection charges or any other charges, by whatever name called, for providing access to any entertainment, whether for a specified period or on a continuous basis;
- (v) any payment, by whatever name called for any purpose whatever, connected with an entertainment, which a person is required to make in any form as a condition of attending or continuing to attend the entertainment, either in addition to the payment, if any, for admission to the entertainment or without any such payment for admission;
- (vi) any payment, made by a person, who having been admitted to one part of a place of entertainment is subsequently admitted to another part thereto, for admission to which a payment involving tax or more tax is required;
- (vii) in case of free, surreptitious, unauthorized or concessional entry, whether with or without the knowledge of the proprietor, the payment which would have been made if the person concerned had been admitted on payment of the full charges ordinarily chargeable for such admission.

Explanation I.—Any subscription raised or donation collected in connection with an entertainment in any form shall be deemed to be payment for admission;

Explanation II.—Where the payment for admission to an entertainment is made by means of a lump sum paid as a subscription or contribution to any person, or for a season ticket or for the right of admission to a series of entertainments or to any entertainment during a certain period of time, or for any privilege, right, facility or thing combined with the right of admission without further payment or at a reduced charge, the tax shall be paid on the amount of such lump sum.

Explanation III.—Where entertainment is provided as part of any service by any person, whether forming an integral part of such service or otherwise, the charges received by such person for providing the service shall be deemed to include charges for providing entertainment or access to entertainment also;

(n) “person” includes any company or association or body of individuals whether incorporated or not, and also a Hindu undivided family, a firm, a local authority, a State Government, the Central Government and a Government Undertaking;

(o) “place of business” includes an office, or any other place which a hotelier or a proprietor uses for the purpose of his business or where he keeps his books of accounts;

- (p) “proprietor” in relation to any advertisement, entertainment or luxury includes any person responsible for or for the time being in-charge of the management thereof;
- (q) “receipt of monetary consideration” means the amount of payment received or receivable by a hotelier or a proprietor, or by his agent for any advertisement, luxury or entertainment, but shall not include the tax payable under this Act and collected separately by the hotelier or the proprietor;
- (r) “registered hotelier or proprietor” means a hotelier or a proprietor registered under this Act;
- (s) “tax” means tax payable under this Act;
- (t) “turnover” in relation to any period means the aggregate of the amount of receipts of monetary considerations received or receivable by a hotelier or a proprietor in respect of advertisements, luxuries or entertainments provided by him;
- (u) “Vat Act” means the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002).

(2) All those expressions which are used but are not defined in this Act and are defined in Vat Act shall have the meaning assigned to them in Vat Act.

Incidence of tax.

3 (1) Every hotelier or proprietor whose turnover during a period of twelve months immediately preceding the commencement of this Act exceeds rupees five lacs, shall, from such commencement be liable to pay tax under this Act in respect of any advertisement, luxury or entertainment provided by him in Madhya Pradesh.

(2) Every hotelier or proprietor to whom sub-section (1) does not apply, shall be liable to pay tax under this Act in respect of any advertisement, luxury or entertainment provided by him in Madhya Pradesh With effect from the date on which his turnover in a year first exceeds rupees five lacs but for the purpose of assessment of the tax for that year, only so much of his turnover as is in excess of such limit, shall be taken into consideration.

Determination of liability to pay tax.

4 (1) The Commissioner shall, in the prescribed manner, institute proceedings for the purpose of determining the liability of a hotelier or a proprietor to pay tax under this Act. Such liability shall be determined by an order and such determination shall be made within a period of twelve months from the date of institution of such proceedings.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of Section 3, liability of a dealer to pay tax under this Act shall not be determined from a date earlier than five years prior to—

- (i) the date of institution of proceedings under sub-section (1); or
- (ii) the date of validity of the registration certificate, whichever is earlier.

Levy of tax.

5 (1) There shall be levied a tax on the turnover and such tax shall be payable by a hotelier or a proprietor in accordance with the provisions of this Act.

(2) If a person other than the owner (including part-owner) is for the time being in-charge of the place of business, then such person and the owner (including part-owner) shall jointly and severally be liable to pay the tax.

Charges and rate of tax.

6. (1) The tax payable by a hotelier or proprietor under this Act shall be charged at the following rates, namely :—

- (a) In case of a hotelier 10 per cent of the turnover;

(b) In case of a proprietor,—

- (i) on luxuries other than those provided in a hotel, 10 per cent of the turnover;
- (ii) on advertisements, 10 per cent of the turnover;
- (iii) on entertainment, 20 per cent of the turnover.

(2) Where, in addition to the charges for luxury provided in a hotel, service charges are levied and appropriated by the hotelier and not paid to the staff, then such charges shall be deemed to be the part of the charges for luxury provided in the Hotel.

(3) The tax shall be levied and collected at the rate specified in clause (a) of sub-section (1), on the charges actually paid to the hotelier for such luxury.

(4) The tax shall not be levied and payable in respect of the turnover for supply of food and drinks, where they are separately charged for and on the sale of which the hotelier or the proprietor is liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No.20 of 2002).

7. Where a business is owned, managed or run by a firm, the firm and each of the partners of the firm shall jointly and severally be liable to pay tax under this Act :

Liability of firms as hotelier or proprietor.

Provided that where any partner retires from the firm he shall be liable to pay the tax, penalty, interest or any other amount payable under this Act remaining unpaid at the time of his retirement; and any tax due up to the date of his retirement, even if assessment of tax, or levy of penalty or Interest is made at a later date.

8. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the provisions of the Vat Act and the rules made, orders and notifications issued thereunder, including the provisions relating, to returns, assessment, self-assessment, reassessment, payment and recovery of tax, accounts, detection and prevention of tax evasion, refund, appeal, revision, rectification, offences and penalties and other miscellaneous matter, shall *mutatis mutandis* apply to a hotelier or proprietor in respect of tax, interest or penalty levied and payable under this Act as if these provisions were *mutatis mutandis* incorporated in this Act, and it shall be deemed that the rules made and orders and notifications issued under those provisions were *mutatis mutandis* made or issued under the relevant provisions as so incorporated in this Act.

Certain provisions of Vat Act to apply.

9. Subject to the provisions of this Act and the rules made thereunder, the administration of this Act in so far as it relates to levy, assessment and collection of tax from hoteliers or proprietors shall vest in the authorities specified in the Vat Act and accordingly the authorities for the time being empowered to assess, reassess, collect and enforce the payment of tax under the Vat Act shall assess, reassess, collect and enforce the payment of tax including interest or penalty payable by a hotelier or a proprietor under this Act as if the tax including interest or penalty payable by such hotelier or proprietor under this Act or under the provisions of the Vat Act as made applicable under section 8 to hoteliers or proprietors in relation to tax levied under this Act is a tax or interest or penalty payable under that Act and for this purpose they may exercise all or any of the powers conferred upon them by or under that Act;

Assessment collection, etc. of tax.

10.(1) Every hotelier or proprietor liable to pay tax under this Act shall obtain registration certificate from the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf in such manner and form as may be prescribed.

Registration.

(2) Every hotelier or proprietor required to obtain a registration certificate shall within sixty days from the date of commencement of this Act or if he was not carrying on business on that date shall within thirty days of his becoming liable to pay tax, apply for grant of a registration certificate.

(3) Where a hotelier or proprietor required to obtain a registration certificate under sub-section (1) fails to apply for the same within the time specified in sub-section (2), the appropriate Commercial Tax Officer or any other officer authorised by the Commissioner in this behalf may, after giving him a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty a sum not exceeding five thousand rupees, subject to a minimum of five hundred rupees.

(4) A registration certificate granted on application made within the period specified in sub-section (2) shall be valid from the date of liability. A registration certificate granted on an application made after such period shall be valid from the date of application.

(5) Every hotelier who at the commencement of this Act holds a registration certificate under the provisions of the Act repealed by this Act shall, on such commencement, be deemed for all purposes of this Act to be a hotelier registered and holding a registration certificate under this section.

(6) The provisions of Section 17 of the Vat Act and the rules made thereunder so far as they relate to the amendment and cancellation of registration certificates granted under Vat Act shall *mutatis mutandis* apply to the registration certificates granted under this section.

Power to exempt.

11. The State Government may, by notification and subject to such Restrictions and conditions as may be specified therein exempt whether prospectively or retrospectively in whole or in part any hotelier / proprietor or class of hoteliers / proprietor from the payment of tax under this Act.

Saving.

12. Notwithstanding the repeal of the Madhya Pradesh Hotel Tatha Vas Grilon Me Vilas Vastuon Par Kar Adhiniyam, 1988 (No. 13 of 1988) and the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) (hereinafter referred to as the repealed Acts), the State Government may, by notification, exempt any hotelier / proprietor or class of hoteliers / proprietors from the payment of tax under the repealed Acts for any period before the commencement of this Act and for that purpose it shall and shall always be deemed that the provisions of Section 9 of Act No. 13 of 1988 or Section 7 of the Act No. 30 of 1936 have revived for the purpose of such exemption.

Power to make rules.

13. (1) The State Government may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, the State Government may make rules, prescribing—

- (a) the manner and form in which registration certificate shall be obtained under sub-section (1) of Section 10;
- (b) the form in which the returns shall be filed;
- (c) the form and the manner in which and the period before which tax shall be paid;
- (d) the form in which the order of assessment shall be passed;
- (e) the form in which notice of demand shall be issued.

(3) All rules made under this section shall be laid on the table of the Legislative Assembly.

Bar on imposition of entertainment tax by any local authority.

14. (1) Notwithstanding anything contained in any other enactment for the time being in force, no local authority shall on or after the date of coming into force of this Act impose or recover a tax on or in respect of any entertainment with respect to period falling after such date.

(2) The State Government shall pay to every local authority, which before the coming into force of this Act had imposed a tax or duty in respect of entertainments, an annual grant-in-aid for such period and in accordance with such principles as may be prescribed in this behalf.

(3) Nothing in this section shall apply to the imposition of a show tax leviable by a local authority under any law for the time being inforce.

Explanation.—For purposes of this section “show tax” means a tax leviable on the proprietor of an entertainment in the form of a fixed sum for each show or performance.

15. The Madhya Pradesh Hotel Tatha Vas Grihon Me Vilas Vastuon. Par Kar Adhiniyam, 1988 (No.13 of 1988) and the Madhya Pradesh Entertainments Duty and Advertisements Tax Act, 1936 (No. 30 of 1936) shall stand repealed on the date of coming into force of this Act:

Repeal and savings.

Provided that—

- (i) such repeal shall not—
 - (a) affect the previous operation of the Act No. 13 of 1988 and Act No. 30 of 1936 (hereinafter referred to as repealed Acts) so repealed or anything duly done or suffered thereunder; or
 - (b) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed Acts; or
 - (c) affect any penalty forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the repealed Acts; or
 - (d) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability; and

any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Act had not been passed and the said Acts had not been repealed.
- (ii) Unless it is otherwise expressly provided, anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation or certificate) in the exercise of any power conferred by or under the repealed Acts shall, subject to the provisions of sub-clause (b) of clause (i), in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act were in force on the date on which such thing was done or action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and all arrears of tax and other amount due at the commencement of this Act may be recovered as if they had accrued under this Act .
- (iii) Any assessment, appeal, revision or other proceedings arising under the repealed Acts and the rules made thereunder and / or pending before an officer or authority duly empowered to make assessment or hear and decide such appeal, revision or other proceeding immediately preceding the commencement of this Act shall, on the date of such commencement stand transferred to the officer or authority competent to make assessment or to hear and decide appeal or revision or other proceedings under this Act and thereupon such assessment, shall be made or such appeal or revision or other proceeding shall be heard and decided within the period, if any specified therefore by such officer or authority in accordance with the provisions of the repealed Acts or the rules made thereunder as if they were the officer or authority duly empowered for the purpose under the repealed Acts.

(iv) Notwithstanding anything contained in clause (i), any appeal, revision or other proceedings arising under the repealed Acts but preferred or initiated after the commencement of this Act, shall be heard and decided by the authority competent to entertain any appeal, revision or any other proceedings in accordance with the provisions of this Act.

Power to remove difficulties.

16. If any doubt or difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Act in consequence of the transition to the said provisions from the corresponding provisions of the Acts repealed by Section 15, the State Government may within two years from the date of commencement of this Act by order notified in the official Gazette of the State make such provision not inconsistent with this Act as appear to be necessary or expedient for removing the doubt or difficulty.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In order to implement the tax proposals relating to luxury, entertainment and advertisement contained in part II of speech delivered by the Finance Minister while presenting the budget in the Legislative Assembly for the year 2011-12, a new comprehensive enactment has been proposed to be made for levy of tax on luxuries, entertainments, amusements and advertisements exhibited in the State of Madhya Pradesh.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :

DATED the 29th March, 2011.

RAGHAVJI
Member-in-charge.